न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 67 / 2022

सुभाष चन्द अध्यापक,एल–1,रा.बा.उ.मा.वि. रुपबास, भरतपुर

.........अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी(एस.डी.एम.)बयाना

..............रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 13.09.2022**

अपीलार्थी सुभाष चन्द अध्यापक,एल–1,रा.बा.उ.मा.वि. रुपबास, भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी(एस.डी.एम.)बयाना के खिलाफ प्राप्त हुई है। प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 2.7.2022 से लोक सूचना अधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी(एस.डी.एम.)बयाना से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी(एस.डी.एम.)बयाना द्वारा प्रार्थी / अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 22 / 657 दिनांक 23.08.2022 के द्वारा लोक सूचना निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी(एस.डी.एम.)बयाना से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.)बयाना से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक / सू0अधि0 / 2022 / 1097 दिनांक 30.8.2022 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपनी अपील में कथन किया है कि लोक सूचना अधिकारी ने उसे कोई सूचना उपलब्ध कराई है और ना हीं कोई जबाब दिया है। चाही गई सूचना निशुल्क दिये जाने की प्रार्थना की गई है। अपीलार्थी द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी(एस.डी.एम.)बयाना को आर.टी.आई के तहत एक प्रार्थना पत्र

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

तारीखी 2.7.2020 का अवलोकन किया गया, जिसमें प्रार्थी ने पत्र क्रमांक / निर्वा. / 20 / 1000 दिनांक 27.8.2020 के द्वारा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रकरण पदाधिकारी (तहसीलदार) रुपवास द्वारा की गई जॉच रिपोर्ट सर्म्पूण पत्रावली की छाया प्रति चाही गई थी। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.)बयाना ने अपने जबाब पत्र क्रमांक / निर्वा. / 20 / 1000 दिनांक 27.8.2020 में अंकित किया है कि कार्यालय द्वारा ऐसी कोई जॉच नहीं कराई गई है। इस सम्बन्ध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) बयाना ने अपने पत्र क्रमांक / सूं0अधि0. / 22 / 23571 दिनांक 1.8.2022 से अपीलार्थी / प्रार्थी को सुचित किया गया है। यानि लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना लम्बित नहीं है। अस्तु अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट न होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर